

प्रपत्र

महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

साथ में

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन

क्रमांक 5652-74/टी0आई0-4

दिनांक 22-1-14

Subject: CWP No. 10258 of 2013- Lawyers for Human Rights Internation (Regd.) Vs.
State of Haryana and others.

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3106-26/टी0आई0-3/ दिनांक 12.07.2007 में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में महिला यात्रियों के लिए सीटें निर्धारित करने की हिदायत जारी की हुई है।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4164-88/टी0आई0-5/ दिनांक 05.09.2013 में eve teasing इत्यादि की घटनाओं को रोकने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।
3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1508-36/टी0आई0-4/ दिनांक 20.07.2011 में मार्गों पर कार्य निर्वाह करने वाले सभी चालकों/परिचालकों को विभाग द्वारा जारी निर्धारित वर्दी पहनना व उस पर नाम पट्टीका लगाने की हिदायतें जारी की हुई हैं।
4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1140-64/टी0आई0-4/ दिनांक 04.03.2013 में सभी बस सेवाओं में महिला हेल्पलाइन नम्बर लिखने के निर्देश जारी किए हुए हैं।
5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4366-88/टी0आई0-4/ दिनांक 08.10.2013 व पत्र क्रमांक 4667/टी0आई0-4 दिनांक 23.10.2013 में स्कूली बच्चों व आमजन को प्रार्थित मात्र/माग अनुसार बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बारे श्री सी0के0 खेतान, संयुक्त सचिव शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को उनके कार्यालय के अधिसारकारी पत्र क्रमांक K-14011/21/2013-UT-II dated the 14th November, 2013 के संदर्भ में अवगत करवाकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृते महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़

प्रपत्र

महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा,
वण्डीगढ़।

सब में

राजी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन

क्रमांक 5652-74/टी0आई0-4

दिनांक 22-1-14

Subject:- CWP No. 10258 of 2013- Lawyers for Human Rights Internation (Regd.) Vs.
State of Haryana and others.

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3106-26/टी0आई0-3/ दिनांक 12.07.2007 में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में महिला यात्रियों के लिए सीटें निर्धारित करने की हिदायत जारी की हुई है।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4164-88/टी0आई0-5/ दिनांक 05.09.2013 में eve teasing इत्यादि की घटनाओं को रोकने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।
3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1508-36/टी0आई0-4/ दिनांक 20.07.2011 में मार्गों पर कार्य निर्वाह करने वाले सभी चालकों/परिचालकों को विभाग द्वारा जारी निर्धारित वर्दी पहनने व उस पर नाम पट्टीका लगाने की हिदायतें जारी की हुई हैं।
4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1140-64/टी0आई0-4/ दिनांक 04.03.2013 में सभी बस सेवाओं में महिला हैल्पलाईन नम्बर लिखने के निर्देश जारी किए हुए हैं।
5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4366-88/टी0आई0-4/ दिनांक 08.10.2013 व पत्र क्रमांक 4667/टी0आई0-4 दिनांक 23.10.2013 में स्कूली बच्चों व आमजन को प्रार्थना मात्रा/माग अनुसार बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही बारे श्री सी0के0 खेतान, सयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को उनके कार्यालय के अर्धसरकारी पत्र क्रमांक K-14011/21/2013-UT-II dated the 14th November, 2013 के संदर्भ में अवगत करवाकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, वण्डीगढ़